

UTTAR PRADESH INDUSTRIAL UNDERTAKINGS (SPECIAL  
PROVISIONS FOR PREVENTION OF UNEMPLOYMENT)  
ACT, 1966<sup>1</sup>

**(U. P. ACT No. XXV OF 1966)**

[ Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 3, 1966 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 9, 1966.

Received the assent of the President on October 4, 1966 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated October 15, 1966. ]

**AN**

**ACT**

*to enable the State Government to make special provisions for a limited period in respect of industrial relations, financial obligations and other like matters in relation to those industrial undertakings the running of which is considered essential as a measure of preventing, or of providing relief against, unemployment.*

It is hereby enacted in the Seventeenth Year of the Republic of India as follows : —

- Short title and extent**                    **1.** (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Undertakings (Special Provisions for Prevention of Unemployment) Act, 1966.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
- Definitions**                        **2.** In this Act, unless the context otherwise requires —
- (a) “industry” means any business, trade, undertaking, manufacture, or calling of employers, and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workmen, and the word “industrial” shall be construed accordingly ;
- (b) “relief undertaking” means an industrial undertaking, in respect of which a declaration under section 3 is in force.
- Declaration as to relief under taking**                    **3.** (1) Where the State government is satisfied in relation to an industrial undertaking —
- (a) which is started or which or the management of which is acquired or otherwise taken over by the State Government under any law or agreement and is run or proposed to be run by or under the authority of such Government ; or
- (b) to which a loan, advance or grant has been given, or in respect of whose loans a guarantee has been given, by the State Government, —

---

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 8, 1966.

(2325)

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध)  
अधिनियम, 1966<sup>1</sup>**

[ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1966 ]

[ उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 3 अगस्त, 1966 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 अगस्त, 1966 ई० की बैठक में स्वीकृत किया। ]

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 4 अक्टूबर, 1966 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 अक्टूबर, 1966 ई० को प्रकाशित हुआ। ]

ऐसे औद्योगिक उपक्रमों से जिन्हें बेरोजगारी रोकने, अथवा उसके प्रति सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाना आवश्यक समझा जाय, सम्बद्ध औद्योगिक संबंधों, वित्तीय आभारों तथा समनुरूप अन्य विषयों के बारे में सीमित अवधि तक राज्य सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था करने के लिये

**अधिनियम**

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : —

**1—** (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1966 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम,  
प्रसार और प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

**2—** जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(क) “उद्योग” का तात्पर्य सेवायोजकों के किसी कारबार, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या आजीविका से है और इसके अन्तर्गत कर्मकार की कोई आजीविका, सेवा, सेवायोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय अथवा उप-व्यवसाय भी है, और शब्द “औद्योगिक” का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा ;

(ख) “सहायता उपक्रम” का तात्पर्य किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसके संबंध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा लागू हो।

**3—** (1) यदि राज्य सरकार का किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के संबंध में —

सहायता उपक्रम  
होने की घोषणा

(क) जिसे किसी विधि या अनुबन्ध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाय अथवा जो या जिसका प्रबन्ध अर्जित किया जाय अथवा अन्यथा ले लिया जाय, और जिसे उस सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाय या चलाने का प्रस्ताव हो ; या

(ख) जिसे राज्य सरकार द्वारा, कोई ऋण, अग्रिम धनराशि अथवा अनुदान दिया गया हो, अथवा जिसके ऋणों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति दी गयी हो,

1— उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 8 अगस्त, 1966 का उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिए।

that is necessary or expedient so to do in the public interest, with a view to enabling the continued running or restarting of the undertaking as a measure of preventing or of providing relief against unemployment, the State Government may, by notification in the Gazette, declare that with effect from such date as may be specified, the undertaking shall be a relief undertaking.

(2) A declaration under sub-section (1) shall have effect for such period not exceeding one year as may be specified in this behalf ;

Provided that the State Government may, by notification in the Gazette extend the operation of the declaration for further periods not exceeding one year at a time and four years in the aggregate.

**Consequences  
of declaration  
under section  
3**

**4.** (1) Where the State Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do for the purposes specified in section 3, it may, by notification in the Gazette, direct in relation to any relief under taking —

(a) that all or any or the enactments specified in the Schedule shall not apply or shall apply with such adaptations whether by way of modification, addition or omission, as may be specified in this behalf ;

(b) that all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, Standing Orders or other instruments in force under any law whatsoever, to which the undertaking is a party or which may be applicable to the undertaking, immediately before the date with effect from which the undertaking was declared a relief undertaking, shall be suspended in operation, or that all or any of the rights, privileges, obligations, and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall be determined and be enforceable with such modifications and in such manner as may be specified in this behalf.

(2) A notification under sub-section (1) shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, agreement or instrument, and any remedy for the enforcement of any right, privilege, obligation or liability referred to in clause (b) of sub-section (1) and suspended or modified by such notification shall in accordance with the terms of the notification be suspended or modified and all proceedings relating thereto pending before any Court, Tribunal officer or authority shall accordingly be stayed or be continued subject to such modification, so however, that on the notification ceasing to have effect, all rights, privileges, obligations or liabilities so suspended or modified shall revive or revive in their unmodified form and be enforceable and all such proceedings as aforesaid shall thereafter be continued from the stage they were stayed, and in computing the period of limitation for the enforcement of any such right, privilege, obligation or liability, the period during which it or the remedy for the enforcement thereof was suspended, shall be excluded.

(2327)

यह समाधान हो जाय कि बेरोजगारी को रोकने अथवा उसके प्रति सहायता की व्यवस्था करने के उपाय स्वरूप उस उपक्रम को चलाये रखने अथवा उसे फिर से चलाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है, तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वह उपक्रम, ऐसे दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सहायता उपक्रम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा एक वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिये प्रभावी होगी जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाय ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा के प्रवर्तन को और आगे की अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष और कुल चार वर्षों से अधिक न होगी, बढ़ा सकती है ।

4- (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि धारा 3 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी सहायता उपक्रम के संबंध में यह निदेश दे सकती है कि —

धारा 3 के अधीन  
घोषणा के परिणाम

(क) अनुसूची में निर्दिष्ट सभी अधिनियमितियां या कोई अधिनियमिति लागू न होगी अथवा ऐसे अनुकूलनों के साथ, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, लागू होंगी जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाये ;

(ख) उस दिनांक के जब से उपक्रम सहायता उपक्रम घोषित किया गया हो ठीक पूर्व, किसी भी विधि के अधीन प्रवृत्त सभी या किन्ही संविदाओं, संपत्ति हस्तान्तरणों, अनुबन्धों, समझौतों, स्थायी आदेशों या अन्य संलेखों का जिसमें उपक्रम एक पक्ष हो अथवा जो उपक्रम पर लागू हों, प्रवर्तन निलम्बित कर दिया जायगा, अथवा उनके अधीन उक्त दिनांक के पूर्व प्रोदभावी या उत्पन्न होने वाले सभी या कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार तथा दायित्व ऐसे परिष्कारों के साथ तथा ऐसी रीति से जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाय, निर्धारित किये जायेंगे और प्रवर्तनीय होंगे ।

(2) किसी अन्य विधि, अनुबन्ध अथवा संलेख में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रभावी होगी, और उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट और ऐसी विज्ञप्ति द्वारा निलम्बित या परिष्कृत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के लिये कोई उपचार, विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार निलम्बित अथवा परिष्कृत कर दिया जायगा और उसके संबंध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी कार्यवाहियां तदनुसार स्थगित रहेंगी अथवा ऐसे परिष्कार के अधीन रहते हुए जारी रहेगी, किन्तु विज्ञप्ति के प्रभावी न रहने पर इस प्रकार निलम्बित या परिष्कृत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व पुनर्जीवित अथवा अपने अपरिष्कृत रूप में पुनर्जीवित हो जायेंगे और प्रवर्तनीय होंगे और तत्पश्चात् उपर्युक्त सभी कार्यवाहियां उसी उपक्रम से जारी की जायेंगी जिससे वे स्थगित की गयी थीं और किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन के लिये कालावधि की गणना करने में वह अवधि अपवर्जित कर दी जायगी जिसमें उक्त अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व या उसके प्रवर्तन के लिये उपचार निलम्बित कर दिया गया था ।

SCHEDULE

[See SECTION 4 (1) (a)]

- 1.** The Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947).
- 2.** The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act XX of 1946).
- 3.** The U. P. Industrial Disputes Act, 1947 (U. P. Act XXVIII of 1947).
- 4.** The U. P. Dukan Aur Vanijya Adhasthan Adhiniyam, 1962 (U. P. Act XXVII of 1962).

(2329)

### अनुसूची

[ धारा 4 (1) (क) देखिए ]

- 1- इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 (केन्द्रीय ऐक्ट संख्या 14, 1947) ।
- 2- इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, 1946 (केन्द्रीय ऐक्ट संख्या 20, 1946) ।
- 3- संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् 1947 ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई०) ।
- 4- उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962) ।

